उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8

सं0 /2016/74(120)/XXVII(8)/2005 देहरादून :: दिनांक :: /2_सितम्बर, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 वर्ष 1956) की रा 8 की उपधारा (5), सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की

धारा ८ की उपधारा (5), सपिटत साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ (अधिनियम संख्या १० वर्ष १८९०) की धारा २१ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में, दिनांक ०१—०४—२०१५ से, किसी विनिर्माता द्वारा जो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, २००५ तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६, के अधीन पंजीकृत है एवं जिसका व्यापार स्थल उत्तराखण्ड में हो, ऐसे व्यापार स्थल से अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान, मोबाइल हैण्डसैट के निर्माणोपरान्त की जाने वाली बिक्री पर उक्त अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन एवं फॉर्म—"ग" में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर इकाई को दिनांक ३१—०३—२०१७ तक अथवा जी०एस०टी० लागू होने की तिथि तक जो भी पहले हो, की अविध के लिए उक्त अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (1) के अधीन कोई कर देय नहीं होने सम्बन्धी निर्देश देते हैं।

(अमित सिंह नेगी) • सचिव

संं ि 6 / 2016 / 74(120) / XXVII(8) / 2005 तद्दिनांक । प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

- 2— निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3— भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन०आई०सी०
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

Dorcool.

पुष्य अनुभाग

आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर एत्तराखण्ड, देहरादन (हीरा सिंह बसेड़ा) अनुसचिव

2016

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.706 / 2016 / 74(120)/XXVII(8)/2005 dated 2 September, 2016 for general information

Government of Uttarakhand Vitta Anubhag-8 No. 706/2016/74(120)/XXVII(8)/2005 Dehradun: Dated::/2 September, 2016

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1897 (U.P. Act No 10 of 1897), the Governor is pleased to direct in public interest that with effect from 01-04-2015, no tax shall be payable under sub-section (1) of section 8 of the said Act, by any manufacturer registered under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 and the Central Sales Tax Act, 1956, having his place of business in Uttarakhand, in respect of the sales made by him after manufacturing, from any such place of business in the course of inter-state trade or commerce of Mobile Handsets, subject to the conditions and restrictions referred to in sub-section (5) of section 8 of the said Act and on furnishing the declaration in Form "C", for a period upto 31-03-2017 or the date of implementation of GST, whichever is earlier.

(Amit Singh Negi

كرس